18-10-17 पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण की ओर से यह पेश हुई घोषणा की धारा 57 के अन्तर्गत 1437 वर्गफुट भूमि के विषय में नियमितीकरण प्रस्ताव अस्वीकृत होने से है। प्रार्थीगण को कारण बताओ में किसी प्रकार की अवैधता नहीं पाई जाने व अर्थी आदेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना निवेदन किया गया है।

इस सम्बन्ध में उभय पक्षीगण को सुनी गई। अतः प्रकरण में वादीगण की ओर से यह कहा गया है कि भूमि नियमितीकरण के आवेदन का आदेश दिया जाना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होकर वादी का कथन होकर पत्रावली रखा जाए है।

Sd/-